## राजस्थान सरकार श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

कमांक-पं.17(6)श्रनि / 23

जयपुर दिनांक 21.10.2023

#### 🕧 आदेश :—

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक Estt.B2(v)/1/WA/2023/3853 दिनांक 2023 के अनुसरण में जिला जज केंडर के अधिकारी Shri Hari Om Sharma Attri, Judge, Labour Court No.2, Jaipur Metropolitan-II का अपने पद के साथ—साथ Judge, Industrial Tribunal, Jaipur Metropolitan-II के रिक्त पद पर अतिरिक्त पदस्थापन अग्रिम आदेशों तक किया जाता है।

Note- 1. He shall dispose off minimum 40% additional work as per circular of standard of work.

2. The cases in which directions of higher Court for time bound disposal, shall be decided on priority basis.

आज्ञा से.

(नरेश गोकलानी) शासन उप सचिव

## प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, श्रम, कारखाना बॉयलर्स एवं निरीक्षण विभाग, राज0, जयपुर
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राज0, जयपुर।
- 5 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम, कारखाना व बायलर्स एवं ईएसआई विभाग राज0, जयपुर।
- 7 जिला कलेक्टर, जयपुर ।
- ८ निजी सचिव, आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- ९ सम्बन्धित न्यायाधीश / न्यायालय ।
- 10 डिविजनल इंजिनियर, टेलिफोन जयपुर।
- 11 अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के विशेषाक दिनांक 21.10.2023 में प्रकाशित करने का कष्ट करे। 12 निजी एवं रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

## प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

- 13 रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोघपुर।
- 14 सचिव, श्रम मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली ।
- 15 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 16 प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
- 17 सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
- 18 निबंन्धक, राजस्व मंण्डल अजमेर।
- 19 अति, निबंन्धक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
- 20 रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

शासन उप सचिव



# RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

## No.Estt.b2(v)1/WA/2023/4549

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

The Registrar-Cum-Principal Secretary to Hon'ble the Chief Justice, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench, Jaipur.

2. The Secretary to the Law Minister, Government of Rajasthan, Jaipur.

- 3. All the sitting Hon'ble Judges at RHC, Jodhpur/Bench, Jaipur through E-mail.
- 4. The Principal Secretary to the Govt, Law Deptt-Cum-Legal Remembrancer, Raj., Jaipur.
- 5. The Secretary to the Govt. of Raj, Department of General Administration (Gr.2), Jaipur.
- 6. The Secretary, Lokayukta, Sachivalaya, Jaipur.

7. The Accountant General, Rajasthan, Jaipur.

- 8. The Registrar General/ Registrar(Vig.)/(Admn.)/ (Rules)/ (Class.)/ (Exam.)/ OSD(F&I)/ (Judicial), Rajasthan High Court, Jodhpur and Registrar HQ. at Delhi.
- 9. The Registrar (Admn.), Rajasthan High Court Bench, Jaipur with the request to distribute the copies of this order to all the Judicial Officers posted in the Registry at Jaipur Bench, Jaipur/ Member Secretary, Rajasthan State Legal Services Authority, Jaipur.
- 10. All Jt. Registrars/ Deputy Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench, Jaipur.
- 11. The District & Sessions Judges, Jaipur Metropolitan-II with the request to serve/circulate the copy of this order to the concerned Officer/Court/Post/Treasury Officer in your Judgeship as per direction issued vide this office letter No 17022 dated 08.10.2015.

12. The Director, Rajasthan State Judicial Academy, Jodhpur.

Personal File/

Conf. /Accounts/General/Store Sub. Court/Statistics/Computer Cell RJS Leave/Jr. Actt. /Building Cell

C.P.Suniner (CHANDRA PRAKASH SHRIMALI) REGISTRAR GENERAL

22/10/2019

Date: 22.10.2023

### राजस्थान सरकार श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

क्रमांक प.17(6)श्रनि / 23

जयपुर, दिनांक 21.10.2023

#### <u>अधिस्चना</u>

राज्य सरकार द्वारा आदेश कमांक प.17(6)श्रनि / 23 दिनांक 21.10.2023 जारी कर निम्न न्यायाधीश को उनके समक्ष अंकित न्यायालय में अपने पद के कार्य के साथ-साथ अतिरिक्त कार्य सम्पादित करने हेत् पदस्थापित किया गया है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947(1947 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 14) की धारा 7 की उप धारा (2) एंव धारा ७ ए की उप–धारा (2) संपंतित धारा ८ तथा राजस्थान औद्योगिक विवाद नियम, 1958 के नियम, 5 के द्वारा पदल्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य रारकार, इसके द्वारा नीचे सारणी के कालम सं. 02 में उल्लेखित राजस्थान न्यायिक सेवा के जिला जज केंडर के अधिकारी को उनके सामने कालम स. 03 में वर्णित औद्योगिक न्यायाधिकरण हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

क.सं.	अधिकारी का नाम	श्रम न्यायालयं एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण का नाम
(01)	(02)	(03)
1	श्री हरीओम शर्मा अत्री, न्यायाधीश, श्रम न्यायालय—2, जयपुर, मैट्रोपोलिटन—II	न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर, मैट्रोपोलिटन—II

राज्यपाल के आदेश से

(नरेश गोकलानी) शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 21.10.2023 में प्रकाशित करने का कष्ट करे।
- 2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राज.जयपुर।
- 3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम, कारखाना व बायलर्स एव ईएसआई विभाग, राज
- 4. निर्जो सचिव, आयुक्त, श्रम विभाग, राज० जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 21.10.2023 में प्रकाशित करवाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना भी सुनिश्चित करावें।
- न्यायाधींश, औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर।
- 6. श्री हरीओम शर्मा अत्री, न्यायाधीश, श्रम न्यायालय—2, जयपुर, मैट्रोपोलिटन—II
- 7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव



RajKaj Ref 4954286

sh Kumar Digitally signed by M Designation Depu Secretary .48:31 IST Reason: Appro